| कार्यालय सहायक पुलिस आयुक्त,आदर्श नगर जयपुर पूर्व महानगर।।

क्रमांक मेंल दिनांक 01.10..2020

श्रीमान पुलिस उपायुक्त,
जयपुर पूर्व महानगर।

विषय–	**परिवाद द्वारा श्री ज्ञानेश कुमार S-1,JHARKHANDAPPARTMENT,JHARKHAND MODE,GENERAL SAGAT SINGH MARG,KHATIPURA , वार्ड न. 64 , जयपुर हेरिटेज , जयपुर mobile no 9828346151**

प्रसगं–	सी.एम. हैल्प लाईन 181 परिवाद कमांक **09200678684182**

महोदय,

उपरोक्त विषय एवं प्रसंगीय परिवाद के सन्दर्भ में निवेदन है कि परिवाद द्वारा श्री ज्ञानेश कुमार **S-1,JHARKHANDAPPARTMENT,JHARKHAND MODE,GENERAL SAGAT SINGH MARG,KHATIPURA , वार्ड न. 64 , जयपुर हेरिटेज , जयपुर mobile no 9828346151** का सीएम हैल्प लाईन 181 परिवाद कमांक **09200678684182** से प्राप्त होने पर थानाधिकारी थाना आदर्श नगर जयपुर पूर्व को प्रेषित किया जाकर उक्त परिवाद की जांच थानाधिकारी थाना आदर्श नगर जयपुर से रिपोर्ट प्राप्त की गयी जो निम्न प्रकार से हैः

दिनांक 29/08/2020 को प्रमुख समाचार पत्र दैनिक भास्कर जयपुर संस्करण में प्रकाशित खबर शीर्षक “राजापार्क गुरुद्वारा पहूंची पुलिस, नाराज लोगों ने विरोध किया; घंटों सड़क जाम” के सम्बन्ध में। उक्त परिवाद के संबंध मे निवेदन है कि दिनांक 29.08.2020 को श्री अमरवीर सिंह पुत्र श्री हरवंश सिंह जाति सिक्ख उम्र 55 साल निवासी म॰न॰ A-66 शान्ती पथ तिलक नगर ने उपस्थित थाना होकर एक रिपोर्ट तहरीरी इस आशय की पेश की कि मै सिक्ख समुदाय से हूॅ, तथा मकान नम्बर A-66 शान्ती पथ तिलक नगर जयपुर का निवासी हूॅ। कल दिनांक 28.08.2020 की शाम समय करीब 07-7.30 बजे के आस पास हमारे समुदाय के धार्मिक स्थल गुरूद्वारा राजापार्क मे धार्मिक प्रोग्राम के आयोजन को लेकर तथा सरकार द्वारा आगामी सितम्बर माह मे गुरूद्वारा मे दर्शनो को लेकर हमारे सिक्ख समुदाय के धार्मिक प्रवृत्ति के लोग आपस में धार्मिक वार्ता व कोरोना वायरस से लोगो के बचने हेतु अरदास की जा रही थी। इसी दौरान मकान नम्बर 786 सिन्धी कॉलोनी निवासी व्यक्ति प्रबजीत सिंह ऊर्फ रिन्कू पुत्र श्री नरेन्द्र सिंह व गुरूप्रीत सिंह ऊर्फ बॉबी पुत्र हरवंश सिंह निवासी सिन्धी कॉलोनी ने पुलिस की स्पेशल टीम को गुरूद्वारा मे किसी असामाजिक तत्व के छुपे होने की झूठी सूचना देकर स्पेशल टीम व पुलिस थाना जवाहर नगर व आदर्श नगर की पुलिस को वहा बुला लिया। वहा पर आई पुलिस द्वारा मौजूद लोगो से असामाजिक तत्व के छुपे होने के संबंध मे पूछा गया तो वहा पर कोई असामाजिक तत्व होना नही पाया गया तथा प्रबजीत सिहं ऊर्फ रिन्कू व गुरूप्रीत सिंह ऊर्फ बॉबी ने वहा पर धार्मिक वार्ता व अरदास करते हुए लोगो के काम मे उत्पात मचाकर विघ्न डाला तथा मुझसे प्रोपर्टी की दलाली की रकम की मांग की, मैने इसके लिए मना कर दिया तो उसने मुझे दलाली नही देने की सुरत में जान से मारने व नुकसान पहुंचाने की धमकी दी और कहा की दलाली की रकम नही देगा तो अंजाम बुरा होगा। इस तरह

प्रबजीत सिंह ऊर्फ रिन्कू व गुरूप्रीत सिंह ऊर्फ बॉबी ने पुलिस को झूठी सूचना देकर बुलाया तथा उन दोनो ने वहा पर सिक्ख समुदाय के लोगो द्वारा की जा रही अरदास व वार्ता मे विघ्न पैदा किया और मुझे जान से मारने की धमकी देकर प्रोपर्टी की दलाली की रकम की मांग की। यह वाकया वहां पर मौजूद हमारे सिक्ख समुदाय के लोगो ने देखा हैं। रिपोर्ट पेश कर निवेदन है कि रिपोर्ट दर्ज कर उनके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें। आदि पर मुकदमा नम्बर 202/2020 धारा 182, 296, 384 IPC दर्ज कर अनुसंधान जारी किया गया।

दौराने अनुसंधान बयान मुकदमा मुस्तगीस श्री अमरवीर सिंह के अन्तर्गत धारा 161 सीआरपीसी लेखबद्घ कर शामिल पत्रावली किये गये। मुस्तगीस को प्रकरण की घटना से संबंधित गवाह सबूत पेश करने की हिदायत की गई। परिवादी की निशादेही से घटनास्थल का नक्शा मौका कसीद किया गया। घटनास्थल के आस-पास सीसीटीवी फुटेज देखे गये। घटनास्थल के आस-पास लोगो से पूछताछ की गई। आरोपीयान की तलाश कर तफ्तीश कर प्रकरण मे अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। प्रकरण जैर अनुसंधान है।

रिपोर्ट वास्ते अवलोकनार्थ एवं उचित आदेशार्थ पेशहै।

सहायक पुलिस आयुक्त
आदर्श नगर जयपुर(पूर्व)
Email - coadarshnagar@gmail.com
Tel No- 0141-2577019
Mob No- 8764867002